न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)

बः इजलास– प्रियंका तलानिया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या–02/2021

इन्द्राज पुत्र सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 78 आर. बी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

——— **वादी**

बनाम्

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर

—— **प्रतिवादी**

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

::निर्णय:: **दिनांकः–08.03.2023**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के नाम ग्राम 18 पी तहसील अनूपगढ़ में पत्थर नं.–78/22 मुरब्बा नं.–106 पत्थर नं.–78/30 मुरब्बा नं.–105 पत्थर नं.–78/38 मुरब्बा नं.–104 पत्थर नं.–78/46 मुरब्बा नं.–103 मे कुल 3.960 हैक्टेयर कृषि भूमि में से 1/9 हिस्सा कमांड अनकमांड कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। जिसे वाद पत्र में आगे वादाधीन भूमि दर्ज किया जायेगा। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। वादाधीन कृषि भूमि में वादी का नाम काश्तकारों के नाम की क्रम सं.–7 पर राजेन्द्र कुमार पुत्र सोहनलाल दर्ज है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम इन्द्राज पुत्र सोहनलाल है। वादी के राशन कार्ड वादी का पहचान पत्र, आधार कार्ड वादी के परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड वादी के नाम से विद्युत बिल व वादी के ड्राईविंग लाईसेंस में वादी का नाम इन्द्राज दर्ज है परन्तु वादाधीन कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम राजेन्द्र कुमार गलत दर्ज हो गया है जो विरासतन ईंतकाल के समय गलत दर्ज हो गया है। जिसे वादी सही करवाने का कानूनी अधिकारी है तथा राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्ठि में शुद्विकरण संबंधी अनुतोष घोषणा के द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। माननीय राजस्व मंडल ने 1981 आर.आर.डी पेज 525 में इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत पारित किया है। वादी ने प्रतिवादी से मिलकर वादाधीन कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम राजेन्द्र कुमार के स्थान पर इन्द्राज दुरूस्त करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी ने इंकार कर दिया तथा इस संबंध में माननीय न्यायालय से आदेश लाने का कहा इसलिए यह वाद पत्र पेश किया जा रहा है तथा यही बिनाय दावा है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज. उपस्थित आए। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट चक 18 [illegible] रिकॉर्ड जमाबंदी खाता सं.–9 मे दर्ज क्रम सं.–7 पर राजेन्द्र कुार पुत्र सोहनलाल [illegible] बिश्नोई साकिन फौजूवाला खातेदार हि. 1/9 दर्ज है। खाते का कुल रकबा 3.960 हैक्टर कमांड अनकमांड मय खाला है। मुताबिक नामान्तरण सं.–103/20.03.05 वादी के पिता के फौत होने पर विरास्तन इंतकाल [illegible] किया गया जिसमें वादी का नाम राजेन्द्र कुमार दर्ज है। प्रतिलिपि संलग्न है। वकील वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात ग्राम पंचायत फौजूवाला के प्रमाण पत्र, स्थानान्तरण पत्र (टी.सी.) वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत फौजूवाला, विद्युत बिल आधार कार्ड, राशन कार्ड, लाईसेंस की प्रतिलिपि के आधार पर वादी का नाम इन्द्राज है। अतः संलग्न दस्तावेजात के आधार एवं वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.07.18 12:34:30 IST
Reason: SelfAttested

के आधार पर राजेन्द्र कुमार एवं इन्द्राज दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः राज्य हित को सुरक्षित रखते हुये वाद डिक्री किये जाने की अनुशंषा की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली में दर्ज तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टस का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी द्वारा पेश किये गये साक्ष्य, शपथ–पत्र, राजकीय कर्मचारी द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र व दस्तावेजों के आधार पर वाद पत्र डिक्री करने का निवेदन किया। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात व रिपोर्ट पर मनन करने के पश्चात न्यायालय की राय में वादी अपने साक्ष्यों से वाद अपने पक्ष में साबित/सिद्ध करने में सफल रहा है कि वादी का नाम राजेन्द्र कुमार न होकर इन्द्राज है। अतः वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर न्यायहित में वादी का नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक–ग्राम 18 पी तहसील अनूपगढ़ में पत्थर नं.–78/22 मुरब्बा नं.–106 पत्थर नं.–78/30 मुरब्बा नं.–105 पत्थर नं.–78/38 मुरब्बा नं.–104 पत्थर नं.–78/46 मुरब्बा नं.–103 मे कुल 3.960 हैक्टेयर कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र सोहनलाल के स्थान पर राजेन्द्र कुमार उर्फ इन्द्राज पुत्र सोहनलाल एतद्द्वारा दुरूस्त किया जाता है। प्रतिवादी तहसीलदार, अनूपगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त आदेश का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 08/03/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ (श्रीगंगानगर)

Priyanka

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.07.18 12:34:30 IST
Reason: SelfAttested